हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की दिनांक 06.09.2022 को 11.30 बजे होटल कुजुंम, मनाली में आयोजित बैठक की

कार्यवाही

हि0. प्र0.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन,
खलीनी, शिमला–171002

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला की दिनांक 06.09.2022 को 11.30 बजे श्री बलदेव सिंह भण्डारी, अध्यक्ष बोर्ड की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही।

बैठक, हि0. प्र0. पर्यटन विकास निगम होटल, कुंजम, मनाली, जिला कुल्लू में आयोजित की गई। इसमें **अनुलगनक-1** पर संलगन सूची में अंकित माननीय सदस्यगणों/प्रतिनिधियों/ अधिकारियों ने भाग लिया।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव बोर्ड ने बैठक में माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगणों का स्वागत किया और कहा कि इस बोर्ड की यह 10वीं बैठक है। गत 9 बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों को लागू करने हेतु बोर्ड कार्यालय द्वारा भरसक प्रयास किए गए, फलस्वरूप आज इसके परिणाम सामने आए हैं और नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने भरपूर सहयोग के लिए माननीय अध्यक्ष, सदस्यों तथा बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद किया। तदोपरान्त सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय से मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष बोर्ड द्वारा बैठक में मौजूद समस्त सदस्यगणों/प्रतिनिधियों और अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि पिछले 4.6 वर्ष के कार्यकाल में बोर्ड/समितियों द्वारा संतोषजनक कार्य किया गया है। कोरोना महामारी के चलते निर्माण कार्यो पर भी प्रभाव पड़ा, परन्तु इस दौरान संस्था के अधिकारियों/ कर्मचारियों/ सदस्यगणों और अध्यक्ष, मण्डी समितियों द्वारा किए गए प्रयास/कार्य सराहनीय रहे, जिससे किसानों/बागवानों को उनके उत्पाद के विपणन में कोई समस्या नही आई और उत्पादकों को अच्छे दाम प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री तथा कृषि मंत्री के दिशा-निर्देशानुसार एक नई पहल करते हुए बोर्ड द्वारा प्रदेश की पहली फूल मंडी परवाणू में स्थापित की गई है। प्रदेश में दूसरी मण्डी की स्थापना हेतु प्रक्रिया जारी है।

इसके अतिरिक्त मंडियों में एफ.सी.आई द्वारा गेहूँ तथा धान की रिकार्ड खरीद की गई जो एक ऐतिहासिक कार्य रहा और भविष्य में यह मण्डी समितियों की आय में भी बढ़ोतरी का साधन होगा। उन्होंने आगे बताया कि इस अवधि में विभिन्न स्थानों पर कार्य आरम्भ करने तथा पूरे किए गए कार्यो के 40 स्थानों पर शिलान्यास/उद्घाटन किए गए हैं। इस अवधि में 15 मंडियों का कार्य पूरा किया गया, जिनको मिलाकर अब 71 मंडियां प्रदेश में कार्यरत है। इस अवधि के दौरान बोर्ड/मण्डी समितियों द्वारा विभिन्न संसाधनों से निर्माण कार्यो पर लगभग 100 करोड़ रूपये का व्यय किया गया हैं।

सदस्य सचिव ने पुनः सभी का स्वागत किया और अध्यक्ष की पुर्वानुम्मति से बैठक हेतु निर्धारित कार्यसूची बोर्ड के समक्ष मद्दबार प्रस्तुत की, विवरण निम्नप्रकार है:

1. **विपणन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.03.2022 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही।**

उक्त बैठक में लिए गये निर्णयों पर कार्यवाही रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो **अनुलगनक-2** पर संलगन है। बोर्ड द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट का अवलोकन कर कार्यालय द्वारा अमल में लाई गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। जिन मदों पर कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है और आगामी कार्यवाही की आवश्यक्ता नही हैं, बोर्ड ने उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया।

2. **बोर्ड की बैठक दिनांक 24.03.2022 की कार्यवाही का पुष्टीकरण।**

उक्त बैठक की कार्यवाही समस्त बोर्ड सदस्यों को प्रेषित की गई थी, जिस पर किसी भी सम्माननीय सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुई है, अतः बोर्ड द्वारा कार्यवाही का सर्वसम्मति से पुष्टीकरण किया गया।

३. **विभिन्न मण्डी समितियों के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति (नए प्रस्ताव, कार्योतर, संशोधित, विचलन इत्यादि की स्वीकृति)।**

(1) मण्डी समितियों से विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इनका बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया। विस्तार से चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्यों का प्रशासनिक एवं वित्तीय/व्यय की स्वीकृति प्रदान की गईः

Sr. No.	Name of APMC	Name of yard/ work	Estimated Amount (in rupees)	Approval granted
		NEW PROPOSALs		
1.	**KANGRA**	**JASSORE:** Providing earth filling, retaining wall alongwith CC pavement near entry and exit gate, painting and distempering etc.	15,50,800	Administrative approval and /Expenditure sanction granted, out of APMC funds.
2.	**MANDI**	**i) BALI CHOWKI:** Site Development work phase-I.	50,53,800	-do-
		ii) JARLU (BALH): c/o New market yard with other facilities as per DPR.	21,04,00,000	The Board approved the DPR and the A/A and E/S was granted out of APMC funds/ Grant in aid. The work will be executed in phased manner, keeping in view financial position/resource.
		(ii) **CHAIL CHOWK:** Protection of yard area with PCC wall alongwith skin	17,54,000	A/A & E/S granted out of APMC funds.

		reinforcement.		
3.	**PAONTA SAHIB**	**i) DHAULAKUAN:** C/O Wheat and Paddy Procurement Centre- S/H: Providing and laying stone soling and cement concrete flooring.	45,55,000	In principle, A/A & E/S granted subject to availability of land. The funds will be made available by APMC.
4.	**SOLAN**	i) Construction of Gabion wall on the Nallah side of **apple market Solan.**	62,85,900	A/A and E/S granted, out of APMC funds.
5.	**KULLU AND LAHAUL SPITI**	**i) CHAURI-BEHAL:** C/o Agricultural Marketing Research and Training Centre:	3,96,68,700	In principle, A/A and E/S granted. Land is available and part funding will be made available under JICA project, as apprised by Project Director, JICA.
6.	**SHIMLA AND KINNAUR**	**i) THERMATI:** Protection work on hill and valley side of the present site.	1,92,00,000	In view of urgency of work to save the present site from slide, the BoMs granted A/A and E/S out of APMC funds.
		ii) KHARAPATHAR: Removal of slided earth work and Retaining wall, protection of present building with CC wall.	72,00,000	A/A & E/S granted out of APMC funds.
7.	**HAMIRPUR**	**i) HAMIRPUR:** C/O meeting hall in first floor of existing market yard.	19,97,800	Board granted A/A and E/S out of APMC funds.

8.	**State Project Director, Natural Farming, HP**	**i)** Proposed Super Market for Natural Farming at Solan.	56,46,000	Board granted A/A and E/S out of funds received Agriculture Deptt.
		ii) Proposed retail shops in existing structure of Agriculture Department at Nalagarh House complex, Shimla-171005.	23,77,000	-do-

(2) बोर्ड के समक्ष विभिन्न निर्माण कार्यों में हुए विचलन के मामले प्रस्तुत किए गए, जिन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की:

Sr. No.	Name of work	Adm. Approval/ Financial sanction. (in Rupees)	Date of BoMs meeting	Awarded amount (in Rupees)	Amount spent (in Rupees)	Remarks for deviation
1.	Upgradation of Sub market yard at Tapri, Distt. Kinnaur. S/H- Site leveling, ground protection work with wire crates, boundary wall with fencing of entire yard area.	2,50,00,000	19.03.2021	1,98,56,024	2,23,69,579	नीलामी मंच की छत से पानी यार्ड के अंदर आने के कारण नीलामी मंच की छत को चारों ओर बढाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मैदान का क्षेत्रफल बढने के कारण मु0. 25,13,355 रू0.(12.65 प्रतिशत) के अतिरिक्त कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की। छज्जे के कार्य के लिए निविदाएं अलग से आमंत्रित की जाऐगी।

2.	Expansion of Sub Market yard **Khairi,** Distt. Sirmur, HP. S/H-construction of godowns/garlik store, public toilet.	1,06,78,098	19.03.2021	94,62,158	1,04,59,411	बोर्ड ने मु0. 9,97,253 रू0. (10.53 प्रतिशत) के अधिक विचलन हेतु स्वीकृति प्रदान की।
3.	C/O Anaj Mandi at **Riyali**, Distt. Kangra,HP- Sub Head c/o Open yard (procurement centre) and toilet block.	1,80,68,000	24.03.2022	1,19,87,763	1,46,81,152	अधिशासी अभियन्ता बोर्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त स्थान पर निर्माण कार्य करते समय यार्ड का लेवल ऊंचा करना पड़ा तथा सरिये की मात्रा वास्तुकार द्वारा दिए गए डिजाईन के अनुसार बढाई गई, जिसके फलस्वरूप मु0. 26,93,389 रू0. (22.46 प्रतिशत) का अधिक विचलन हुआ। अतः विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड ने इसकी स्वीकृति **विशेष मामले** के रूप में प्रदान की।
4.	C/O Sub Market Yard **Thermati,** Distt.Shimla S/H site development work.	2,08,65,000	28.12.2019	81,87,666	89,69,253	पहाड़ी की ओर दीवार लगाने का कार्य करवाना आवश्यक था, फलस्वरूप मु0. 7,81,587 रू0. (9.54 प्रतिशत) के अधिक विचलन हेतु बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की।
5.	C/O Sub market yard, **Majari,** Distt.	1,85,00,00	22.06.2020	1,18,24,708	1,09,28,884	इस कार्य मे हुए मु0.

	Bilaspur. S/H C/O Auction shed, office block, toilet block, boundary and WS and SI					8,95,824 रू0. के कम व्यय/ विचलन हेतु बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की।

4. **बोर्ड तथा समितियों द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु जारी दिशा- निर्देश तथा धनराशि की स्वीकृति।**

बोर्ड के समक्ष, सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए दिनांक 30.05.2021 को जारी विस्तृत दिशा निर्देश, इसमें दिनांक 23.04.2022 को किए गए सुक्ष्म संशोधन तथा सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए औपचारिक्ताएं पूरी करने, धनराशि स्वीकृति करने तथा अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के अनुमोदनार्थ मामला प्रस्तुत किया गया। इस मद पर चर्चा में भाग लेते हुए बोर्ड सदस्य श्री राकेश ठाकुर, श्री ज्ञान चौहान तथा श्री रणवीर सिंह द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नही है और न ही उन्हें दिशा निर्देशों की प्रति प्राप्त हुई है, जिस कारण वे सम्पर्क सड़कों के मामले सम्बन्धित समितियों तथा बोर्ड को प्रेषित नही कर पाए हैं। अध्यक्ष बोर्ड द्वारा इस बारे स्थिति स्पष्ट की गई कि माननीय बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 19.03.2021 में मद सं0.29 के अंतर्गत सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए नीति निर्धारण/दिशा निर्देश जारी करने के लिए अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक बोर्ड को प्राधिकृत किया गया था और तदनुसार सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 30.05.2021 को जारी किए गए (प्रति अनुलग्नक-3 पर संलग्न है)। बोर्ड की गत बैठक दिनांक 25.11.2021 तथा 24.03.2022 में भी इस बारे औपचारिक चर्चा की गई थी, फिर भी दिशा-निर्देशों की प्रति सदस्यगणों उपलब्ध न करवाने के लिए अध्यक्ष बोर्ड

ने खेद प्रकट किया। उन्होंने सम्माननीय सदस्यों का आहवान किया कि वे अपने मामले औपचारिक्ताएं पूरी करने के उपरान्त शीघ्रतिशीघ्र सीधे बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करें ताकि उनकी स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। सदस्य सचिव ने भी सदस्यगणों से प्राप्त होने वाले मामलों को प्राथमिक्ता से निपटाने का आश्वासन दिया। अतः विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा नीति/दिशा-निर्देश एवं अभी तक धनराशि स्वीकृत करने के लिए की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया, इसकी स्वीकृति प्रदान की तथा भविष्य में इसके लिए धनराशि की स्वीकृति बोर्ड के वित्तीय नियमों के अंतर्गत प्रद्वत शक्तियों के अनुसार ही जारी करने का निर्णय लिया।

5. **मण्डी, जुखाला में बनाई गई 7 न0 दुकानों का किराया कम करने बारे।**

माननीय सदस्यों के ध्यान में लाया गया कि उप मण्डी जुखाला की 7 न0. दुकानें बन कर तैयार हो चुकी है व 15 मार्च 2022 को माननीय कृषि मन्त्री हि0 प्र0 ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। मण्डी समिति बिलासपुर द्वारा तीन बार अखबार के माध्यम से विज्ञापन देने के उपरान्त कोई भी व्यापारी बोली देनें हेतु नहीं आया। मण्डी समिति ने बैठक दिनाकं 21.01.2022 में उक्त मण्डी का किराया कम करके इसे मु0.1500/-रूपये (वस्तु एवं सेवा कर सहित) प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक चर्चा, स्थानीय बोर्ड सदस्य तथा सचिव, मण्डी समिति, बिलासपुर से अद्यतन स्थिति जानने के उपरान्त बोर्ड ने इन दुकानों का किराया मु0.1500 प्रति दुकान (बेस प्राईस) प्रति माह के हिसाब से स्वीकृत किया ताकि नव निर्मित मण्डी खाली न रहे और मण्डी समिति को किराए के रूप में आय भी प्राप्त हो। आगामी कार्यवाही

अमल में लाने हेतु बोर्ड ने प्रबन्ध निदेशक को प्राधिकृत किया।

6. **पराला, मण्डी हेतु गाड़ियों की सुचारू आवाजाही के लिए छैला–कैंची सड़क से सैंज सड़क (0/0 से 5/655) तक बनी सड़क को स्तरोन्नत करना और इसके लिए धनराशि की स्वीकृति।**

बोर्ड को अवगत करवाया गया कि दिनांक 28.07.2022 को माननीय मुख्यमन्त्री, हि0. प्र0. द्वारा सेब उत्पादकों के साथ पराला सब्जी मण्डी में आ रही दिक्कतों के बारे बैठक की गई जिसमें उत्पादकों द्वारा पराला मण्डी को सुचारू रूप से चलाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए छैला कैन्ची से सैन्ज तक सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता बताई। इसके उपरान्त दिनांक 30.7.2022 को मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार द्वारा उत्पादकों की मांग तथा समस्या को ध्यान में रखते हुए बैठक का आयोजन किया, जिसमें विपणन बोर्ड के अतिरिक्त अन्य विभागों ने भी भाग लिया। माननीय मुख्यमन्त्री के आदेशानुसार छैला से सैन्ज सड़क, जो 0/0 से 5/655 कि0 मी0 है, जिसका प्राक्कलन हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के चौथे वृत द्वारा मु0 1236.94 लाख रू0.का तैयार किया था, हेतु मु0. 1236.94 लाख रू0 की प्राशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.7.2022 को जारी की गई। यह कार्य हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग सर्कल–4 से "Deposit work" के रूप में करवाया जाएगा। मामले की गम्भीरता को ध्यान मे रखते हुए, कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का बोर्ड ने सर्वसम्मति से अनुमोदनार्थ किया और इसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। यह धनराशि बोड/मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर द्वारा वहन की जाऐगी।

7. **बोर्ड द्वारा कंगनाधार, सेक्टर-6 फेज-III न्यु शिमला में पार्किंग के लिए हिमुडा से गेरेज खरीदने हेतु स्वीकृति।**

बोर्ड द्वारा उपरोक्त स्थान पर पार्किंग के लिए गेरेज खरीदने हेतु कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तथा इसकी कुल कीमत की अदायगी हेतु मु0. 10,19,000 रू0. के व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की। व्यय बोर्ड के संसाधनों से वहन किया जाऐगा।

8. **घुमारवीं, जिला बिलासपुर, उप मण्डी कम्पलेक्स को लीज पर देने बारे।**

माननीय बोर्ड के समक्ष यह मामला विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड को इस मण्डी के निर्माण से लेकर इसे किराए तथा लीज पर देने तक की कार्यवाही से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि उक्त स्थान पर विपणन बोर्ड द्वारा लगभग मु0.80.00 लाख रू0. की लागत से उप मण्डी का निर्माण कर इसे जनवरी 2015 में लोगों को समर्पित किया गया। इस उप मण्डी को कृषि विपणन के लिए चलाने हेतु यहां बनाई गई 11 दुकानों के आबंटन की प्रकिया पूरी की गई। समिति द्वारा दुकानों का आबंटन दिनांक 15.01.2015 को किया गया, परन्तु 8 लोगों ने ही दुकानों का कब्जा लिया। इसके पश्चात इस मण्डी को कुछ दिनों तक चलाया गया और कुछ महिनों के उपरान्त दुकानदारों द्वारा कारोबार न चलने के कारण दुकाने खाली कर दी गई। इसका मुख्य कारण मण्डी के लिए उचित सम्पर्क मार्ग न होना था। उप मण्डी को चलाने के लिए दुकानों का आबंटन पुनः मण्डी समिति बिलासपुर द्वारा विज्ञापन के माध्यम से करना चाहा (दिनांक 13.07.2016 तथा 25.9.2016), परन्तु इसके लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नही हुआ जब यह मण्डी कृषि उत्पादों के विपणन हेतु

नही चली तो मण्डी समिति द्वारा इसे मै0. कामधेनू हितकारी मंच जो अधिसूचित मदों के विपणन में कार्य करता है, को मु0.1500 रू0. प्रति माह किराए पर स्थान देने का निर्णय लिया और मामला बोर्ड को प्रेषित किया गया। यह प्रस्ताव बोर्ड की बैठक दिनांक 5.03.2019 में मद सं0. 5(1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिस पर बोर्ड ने मै0. कामधेनू संस्था को इस मंडी को मु0.2200 रू0. प्रति माह किराए पर देने का निर्णय लिया और सभी औपचारिक्ताएं मण्डी समिति स्तर पर पूरी करने हेतु कहा गया। इसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि कृषि विपणन के कार्य हेतु कोई विभाग/संस्था/व्यक्ति आगे न आऐं तो ऐसी मंडियों को अन्य विभागों/संस्थाओं/ गैर सरकारी संस्थानों को किसी भी प्रायोजन हेतु किराए पर दिया जाऐगा, ताकि समितियों को वित्तीय हानि न हो। मण्डी समिति, बिलासपुर द्वारा पत्रांक दिनांक 10.01.2020 के माध्यम से सूचित किया गया कि मैं0. कामधेनु संस्था द्वारा प्लेटफार्म तथा एक दुकान ही लीज पर मु0. 1500 रू0. प्रतिमाह पर लेने की इच्छा जाहिर की गई। इसके उपरान्त उक्त संस्था द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया गया। इस स्थिति में मण्डी भवन इमारत की स्थिति खराब हो रही थी।

दिनांक 03.01.2020 को मै0. राज कौनुनिकेशन, घुमारवी द्वारा इस इमारत को विभिन्न प्रायोजन के लिए मु0. 48,000 रू0. प्रति वर्ष जमा जी.एस.टी. पर लेने हेतु मण्डी समिति को विकल्प प्रस्तुत किया गया। अतः मण्डी समिति ने इसकी बैठक दिनांक 4.01.2020 में मैं0. कामधेनु संस्था द्वारा दिए गए विकल्प को रद्द कर दिया तथा मै0. राज कम्युनिकेशन, घुमारवी को लीज पर देने का प्रस्ताव पारित किया। बोर्ड कार्यालय के पत्र दिनांक 12.03.

2020 द्वारा मण्डी समिति को अधिनियम की धारा 29(2) तथा समिति बाईलॉज 62(2) के अंतर्गत लीज पर देने की स्वीकृति प्रदान की गई और दिनांक 28.05.2020 को लीज डीड का प्रारूप अनुमोदित करके मण्डी समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, जिसमें मुख्यतः निम्न शर्ते लगाई गई थीः

"(1) The lease shall be governed by the provisions of the HP Agricultral Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005, Rules and Bye-laws framed thereunder.

(2) The first party shall remain the owner of the demised premises, other structures including land there under or appertaining thereto.

(3) The allotment shall be made on lease basis @ an annual rent of Rs. 48,000/- only (Rupees Forty Eight Thousand) only plus Applicable GST.

(4) The allottee shall not be permitted to use the premises for any other purpose other than exclusively barred for the intended purpose.

(5) In case misuse of premises, the Secretary of the Committee shall have right to impose suitable penalty or terminate the lease after affording reasonable opportunity to put in his defence.

(6) The second party shall not make any structural alterations to the building without the information and permission of the First party. However, the Second party is at liberty and no permission of First party is required for fixing Air Conditioners and other fittings and as per the needs and requirement of the second party and or make such other additions and alterations, in internal fittings, fixtures and walls/ doors etc. in the premises which will not affect the permanent structure."

इस आबंटन में अनियमितता बारे प्रधान/सचिव नगर उत्थान समिति, घुमारवी द्वारा दिनांक 26.10.2021 को शिकायत की गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए बोर्ड कार्यालय द्वारा एक समिति का गठन दिनांक 2.11.2021 को किया गया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2021 को प्राप्त हुई और तदनुसार इस पर मण्डी समिति से दिनांक 21.12.2021 को रिपोर्ट भेजने हेतु कहा गया। मण्डी समिति द्वारा दिनांक 06.05.2022 को प्रेषित रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि मण्डी समिति से अनुमति प्राप्त किए बिना उक्त मै0. राज कौनुनिकेशन, घुमारवी ने इमारत में

कार्य करवाकर बदलाव किया है। इस रिपोर्ट का बोर्ड स्तर पर परीक्षण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि लीज डीड की शर्त सं0.15 और 17 का उलंघन हुआ है और मण्डी समिति को दिनांक 25.05.2022 को एक माह का डिफाल्ट नोटिस उक्त फर्म को जारी करने के लिए कहा गया। लीज डीड की शर्तें के उलंघन हेतु दिनांक 17.06.2022 को फर्म को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि जो भी कार्य करवाया गया है वह लीज डीड की शर्तो के मुताबिक है, अतः नोटिस को वापिस लिया जाए। इस उत्तर का विधित परीक्षण करवाकर सचिव मण्डी समिति को दिनांक 10.08.2022 को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया है। इस मामले पर चर्चा के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित सचिव, मण्डी समिति, बिलासपुर ने बोर्ड को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया कि- उक्त संस्था द्वारा मण्डी समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना मुख्य इमारत में बदलाव किया गया है। लीज़-डीड के अनुसार इस संस्था द्वारा कृषि उपज के विपणन से सम्बन्धित व्यापार किया जाना था, परन्तु वर्तमान में वहां ऐसी कोई गतिविधि नही चलाई जा रही है। अब उन्होंने मण्डी समिति से लाईसैंस भी प्राप्त कर लिया है, मण्डी शुल्क अभी तक जमा नही करवाया गया है। इस प्रकार उन्होंने लीज-डीड तथा आबंटन की शर्तो का अलंघन किया है। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत स्थिति/पत्राचार पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड ने इस उप मण्डी को लीज पर दिए जाने बारे बोर्ड/मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया तथा सचिव, मण्डी समिति को बोर्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 10.08.2022 को दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही शीघ्र करने तथा बोर्ड

कार्यालय को अवगत करवाने को कहा। अतः इस निर्णय से मण्डी समिति को भी अवगत करवाया जाए।

9. **<u>10 मण्डियों में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्थान उपलब्ध करवाने बारे।</u>**

माननीय बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुए अपने बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश की 10 मण्डियों में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्थान उपलब्ध करवाने तथा 2 स्थानों पर प्राकृतिक कृषि के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष मण्डी स्थापित की करने की घोषणा की है। अतः इस घोषणा को पूरा करने के लिए बोर्ड तथा समितियों द्वारा तुरन्त पग उठाए गए और 10 मंडियों (उना, धर्मपुर, धनोटू, भुन्तर, नम्होल, पालमपुर, पांवटा साहिब, ठियोग, मेंहदली तथा टापरी)में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की विक्री के लिए दुकानें/स्थान उपलब्ध करवाने के लिए सम्बन्धित मण्डी समितियों को निर्देश जारी किए जा चुके है और शीघ्र इनका कब्जा कृषि विभाग को दे दिया जाऐगा। इससे निश्चित तौर पर किसानों/बागवानों को अपना प्राकृतिक उत्पाद उचित मूल्य पर बेचने का लाभ प्राप्त होगा। अतः प्रदेश सरकार की नीति को प्रोत्साहित करने तथा प्राकृतिक उत्पाद के विपणन के उद्धेश्य से बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया और उक्त दुकानों/स्थानों को आगामी एक वर्ष के लिए किराया मुक्त रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।

10. **<u>विपणन बोर्ड का वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा तुलन पत्र (बिलेंस-शीट) बारे।</u>**

इस सम्बन्ध में बोर्ड की बैठक दिनांक 24.03.2022 में मद सं0.4 के अंतर्गत लिए गए निर्णयानुसार बोर्ड

कार्यालय द्वारा मु0. 48,23,67,163 रू0. के समायोजन हेतु की गई कार्यवाही तथा दिनांक 27.08.2022 को प्रदेश सरकार को प्रेषित की गई रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया और कार्यवाही का अनुमोदन किया। वर्ष 2021-22 की बेलेंस-शीट में इसे ठीक करके दर्शाए जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक को प्राधिकृत किया।

11. <u>बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा बाहरी राज्यों की मंडियों के भ्रमण पर हुए व्यय की स्वीकृति</u>।

माननीय बोर्ड के समक्ष बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों/कर्मचारियों के भ्रमण (दिनांक 5 मई से 12 मई, 2022 तक), जिसमें पश्चिमी बंगाल, सिक्किम के अतिरिक्त असम राज्य शामिल थे, पर हुए मु0. 16,99,500 रू0. के व्यय की स्वीकृति का मामला प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत करवाया गया कि दिनांक 24.03.2022 को हुई बोर्ड की बैठक में बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों के बाहरी राज्यों की मंडियों के भ्रमण हेतु मु0.7.00 लाख रूपये व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु समय के अभाव में यह सभी प्रबन्ध स्वंय करना बहुत कठिन था, इसलिए। हवाई यात्रा, होटल में रहने, विभिन्न स्थानों पर स्थानीय भ्रमण के लिए गाड़ी इत्यादि के प्रबन्ध पर मु0.16,99,500 रू0. का व्यय हुआ है। यह सभी प्रबन्ध मै0.Quest Gurgram, Haryana के माध्यम से करवाए गये। इस भ्रमण में **अध्यक्ष** बोर्ड के अतिरिक्त 9 सदस्य और 1 बोर्ड कर्मचारी शामिल थे। हवाई यात्रा के लिए प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी, परन्तु प्री अडिट द्वारा बिल के अंतिम समायोजन के समय आप्पति उठाई कि इसका समायोजन इक्कठे न करके इसे व्यक्तिगत तौर पर किया जाए। इस पर बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किया गया और इस आयोजन हेतु एक

पेकेज के तौर पर उपरोक्त फर्म के माध्यम से की गई कार्यवाही तथा वास्तविक व्यय मु0.16,99,500 रू0. (मु0. 1,69,500 रू0. प्रति व्यक्ति) हेतु हि0. प्र0. राज्य कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 46 (4 (i) में निहित प्रावधानुसार विशेष तौर पर कार्योतर स्वीकृति प्रदान की। बोर्ड द्वारा तदनुसार प्रबन्ध निदेशक को आडिट टिप्पणी का निपटारा करने और भविष्य में भ्रमण आडिट की सलाह के अनुसार आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया।

12. **सचिव, मण्डी समितियों की अनुबन्ध अवधि में बढ़ोतरी हेतु स्वीकृति।**

श्री दीक्षित, जो इस समय मण्डी समिति, कांगड़ा में तथा कु0. शगुन, मण्डी समिति, हमीरपुर में सचिव के पद पर कार्यरत हैं, की दूसरे वर्ष की अनुबन्ध अवधि दिनांक 8.06.2022 से 7.06.2023 तक बढाने हेतु की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया और भविष्य में उनकी सेवाएं प्रदेश सरकार की नीति अनुसार नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की।

13. **विपणन बोर्ड तथा मण्डी समितियों से सेवा निवृत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने बारे।**

बोर्ड के ध्यानार्थ यह प्रस्तुत किया गया कि अभी तक बोर्ड तथा मण्डी समितियों के 105 कर्मचारी अपनी सेवाएं देकर सेवा निवृत हो चुके हैं, परन्तु बोर्ड तथा समितियों में पेंशन सुविधा और सेवा निवृति उपरान्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण ये कर्मचारी बार-बार बोर्ड तथा प्रदेश सरकार से इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व भी बोर्ड ने समय-समय पर प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए और इन्हें बोर्ड की सर्विस कमेटी में प्रस्तुत किया गया, परन्तु इसकी स्वीकृति नही हो पाई है। पिछली सर्विस कमेटी की बैठक दिनांक

29.03.2022 को आयोजित की गई थी, जिसके लिए उपरोक्त दोनों मद प्रेषित किए गए थे। इन पर बैठक से पूर्व चर्चा में धन उपलब्धता की बात सामने आई थी, जिस पर यह निर्णय लिया गया था कि सेवा निवृत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा पहले धन उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और उसके उपरान्त मामला सर्विस कमेटी के विचारार्थ प्रेषित किया जाए। बोर्ड को यह भी अवगत करवाया गया कि हि0. प्र0. कृषि एवं औद्यानिकीय उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की **धारा** 46(4)(III) के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी भत्ते, उपदान, अनुकम्पा भते, कर्तव्यारूढ़ होने पर हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप क्षति या मृत्यु के लिए प्रतिकर, चिकित्सा सहायता, पेंशन या भविष्य निधि और सैकेन्डमेंट पर सरकारी सेवकों को छुट्टी और पेंशन इत्यादि पर व्यय का प्रावधान मौजूद है। अन्य अर्ध-शासकीय संस्थाएं जैसे- वन विकास निगम, हि0. प्र0. तथा नागरिक आपूर्ति निगम, हि0. प्र0. में यह सुविधा प्रदान की जा रही है। बोर्ड तथा मण्डी समितियों की वित्तीय स्थिति अच्छी है और इस पर होने वाले व्यय को वहन कर सकते हैं। इस संस्था के सेवा निवृत कर्मचारियों की मांग, उनकी दयनीय दशा तथा सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए बोर्ड ने, निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए और मामला बोर्ड की सर्विस कमेटी से उठाने का निर्णय लिया:

1. बोर्ड/ मण्डी समितियों से सेवा निवृत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समरूप नियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके लिए बोर्ड स्तर पर एक निधि के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की। समस्त सेवा निवृत कर्मचारियों को बोर्ड से ही चिकित्सा बिलों की अदायगी की जाऐगी।

2. बोर्ड स्तर पर इस निधि के सृजन के लिए प्रथम चरण में मु0.1.00 करोड़ रू0. का धन बोर्ड तथा समितियों द्वारा निम्न प्रकार एकत्रित किया जाऐगाः

क्रम सं0.	विवरण	धनराशि
1.	बोर्ड निधि सेः	मु0.50.00लाख रू0
2.	शिमला व किन्नौर, सोलन, मण्डी, कांगड़ा, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति सेः	मु0.07.00लाख रू0. प्रत्येक समिति।
3.	अन्य 5 मण्डी समितियों सेः	मु0.03.00लाख रू0. प्रति समिति।

3. इसके अतिरिक्त बोर्ड तथा मण्डी समितियां प्रति वर्ष मु0. 50.00 लाख रू0. वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस निधि में एकत्रित करते रहेंगे, ताकि सेवा निवृत कर्मचारियों के भुगतान में कठिनाई पैदा न हो।

14. <u>बोर्ड कम्पलैक्स में नए भवन हेतु फर्निचर खरीदने की स्वीकृति।</u>

(1) बोर्ड के समक्ष, खलीनी में कार्यालय कम्पलेक्स में नए भवन के लिए नए फर्निचर क्रय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को बताया गया कि एक अनुमान के अनुसार इस पर मु0.34,28,848 रू0. का व्यय होगा। प्रदेश सरकार से पत्र दिनांक 17.08.2022 के अंतर्गत इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। अतः नए कार्यालय की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इस खरीद को सीधे तौर पर मै0. मेथोडोक्स सिस्टमज प्राईवेट लि0. से न करके इसे HP State Handicraft and Handloom Corportion, Shimla के माध्यम से ही करने

की स्वीकृति प्रदान की। खरीद वास्तविक आवश्यक्तानुसार ही की जाऐगी।

चर्चा के दौरान बोर्ड के समक्ष उक्त इमारत के सबसे उपर की मंजिल में बैठक कक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर बोर्ड ने इसकी आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए सहमति प्रकट की तथा इसकी साज–सजा/फर्निचर इत्यादि पर होने वाले अनुमानित व्यय लगभग मु0.55.00 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। यह कार्य HP Khadi and Village Industries Board, Shimla (HP Govt. undertaking) के माध्यम से करवाया जाएगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त, बोर्ड ने निम्नलिखित मदों/प्रस्तावों हेतु, स्वीकृति प्रदान की:

क्र0 सं0	विवरण	राशि (रूपयो में	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	बोर्ड के नये भवन में UPS Wiring (electrical work), Earthing, LAN Cabling work, IP Phones, CCTV Cameras installation, UPS 20 KVA and DG Set 62.5 KVA का कार्य करने पर व्यय।	31,67,054	नया कार्य
3	मण्डी समिति, सोलन की विभिन्न मण्डियों के लिए 4 लैपटॉप, 30 स्टील बैंच तथा 6 वाटर कुलर ई–जेम के माध्यम से क्रय।	11,49,935	कार्योतर स्वीकृति

15. **Implementation of the decisions of Service Committee of the Board taken in its meeting held on 29.03.2021.**

Item-wise, action taken report on different decisions taken in the above meeting (Copy of minutes is attached at **Annexure-4**) and further proposal to take action was placed before the Board for perusal and approval. The Board appreciated the efforts of the Board office especially to create new posts on the establishment of Board/ APMC (s). Item-wise/decision wise action/progress was reviewed by the Board. The Board was apprised that pursuant to Service Committee decisions and in view of urgency, services of retired technical employees i.e. **3** Jr. Engineers, **one** Draughtsman and **2** Jr. Draughtsman have been hired for one year, action for promotion/upgradation on different positions, creation of **2** posts of Market Supervisors, **2** Auction Recorders, 20 Assistant Auction Rcorders and 24 Multi Taks workers, amendments in R&P Rules for the post of SMO and MO, revision of pay scales of the employees of Board/APMC(s) w.e.f. 1.1.2016, advertisement of different posts for filling up through recruiting agency have been initiated. The BoMs unanimously approved the action of the office.

During discussion, the issue of revision of pay scales of Secretary, APMC (s), Assistant Secretary (s), Market Supervisors, Auction Recorders, Assistant Auction Recorders and Accountants on the analogy of other employees was also raised by the Hon'ble Board members and discussion was held, in detail. It was made clear that according the State Govt. new notification issued on 6.09.2022 in which these categories of employees of this organisation have not been included. The Board, after detailed discussion on all issues, approved the action taken by the Board office to implement the Service Committee's decision and unanimously decided to take following steps, in the interest of employees/organisation:

1. To take up the issue of granting medical reimbursement facility to the retired employees of Board and APMC (s) at par with regular employees and NPS with State Govt./Service Committee.

2. To fill up all technical posts and other vacant posts by direct recruitment through recruiting agency, as per approval conveyed by the Service Committee in its above meeting.

3. To fill up the post of Multi Task Worker (s) by direct recruitment by adopting R&P Rules for the post of Peon-cum-Chowkidar in the Board. However, in

view of present scenario the Board was of the opinion that educational qualification for the post of Peon-cum-Chowkidar should be matriculation. Hence, it approved the action of the Board office to adopt common R&P Rules for the post of Peon as circulated by the State Govt. to fill up these posts.

4. To pay the arrears on pay revision on the analogy of State Govt. employees, as and when announced and bear its expenditure out of Board/APMC funds. It recommended to examine the issue of granting two tier pay scales to the Secretary, APMC (s) on the analogy of Agricultural Development Officers of Department of Agriculture, HP. The Board further decided to take up the issue of above mentioned left out categories with the State Govt./Service Committee.

16. CWP No.6528/2021- titled as Sanjay Joshi Vs HP State Agricultural Marketing Board and anothers-engagement of Advocate.

BoMs unanimously approved the action taken by Board office to hire services of Sh. Umesh Kanwar, Advocate, Chamber No.227, Advocate Chambers, HP High Court, Shimla-171001 on lump sum fee of Rs. 55,000/- to file reply and defend the above referred case as and when case is fixed for hearing and accorded ex-post fact sanction for Rs. 55,000/- to be incurred by the Board. The Board, further authorized the Managing Director to hire services of such Advocate (s), in future, as and when need arises so, in the interest of organization.

17. विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित/आबंटित दुकानों/गोदामों हेतु नीति (One time settlement policy).

माननीय बोर्ड द्वारा *"THE HP STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD/APMCS ONE TIME SETTLEMENT OF UNAUTHORISED OCCUPATION OF ITS PREMISES, SCHEME-2021"* को बनाने तथा दिनांक 31.05.2021 को इसे अधिसूचित करने बारे की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। बोर्ड को अवगत करवाया गया कि इस स्कीम के अंतर्गत समायोजन हेतु अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2021 निर्धारित की गई थी, परन्तु मण्डी समितियों द्वारा इसकी तिथि बढाने का अनुरोध किया जा रहा है। अतः विस्तार से चर्चा करने के उपरान्त बोर्ड ने इस स्कीम के अंतर्गत समाधान करने के लिए एक और मौका देने और

तिथि दिनांक 30.12.2022 तक बढाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। आगामी कार्यवाही के लिए बोर्ड ने प्रबन्ध निदेशक को प्राधिकृत किया।

18. अतिरिक्त मदद:

बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यसूची प्रस्तुत की गई:

(1) मण्डी समितियों से विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त अतिरिक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए, जिन पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा कार्यवाही निम्न प्रकार की गई:

Sr. No.	Name of APMC	Name of yard/ work	Estimated Amount (in rupees)	BoMs decision.
		PROPOSALs		
1.	**PAONTA SAHIB**	**HARIPURDHAR:** C/O sub market yard S/H C/O shops	76,31,600	In principle A/A and E/S accorded subject to availability of suitable land and funds with APMC.
2	**MANDI**	**(I) KANGNI: C/o staff quarters**	2,38,37,900	Approved out of APMC funds.
		(ii) Repair and maintenance of Kisan Bhawan and staff quarters.	5,59,000	The Board approved this deviation, out of APMC funds.
3.	**HP SAMB**	Installation of lift in new office building.	30,00,000	A/A and E/S granted out of Board funds.

(2) **Hospitality and entertainment to the visitors in the HP SAMB office.**

In view of increasing flow of visitors in different sections of the Board in connection with official business/ meetings etc. being organised by these section heads, the Board unanimously accorded approval/ sanction to meet

expenditure of Rs. 10,000/- P.M. as a whole, as hospitality charges to be spent by heads/section incharges of Marketing, Establishment, Engineering, Law, Finance & Accounts, Accounts and on general meetings ete. on this account, out of Board funds.

On request from Chairmen and Secretary (s) APMC (s), the Board also enhanced and approved the limit of hospatility expenditure to the tune of Rs. 3,000 P.M. to the Chairman office and Rs. 2,000 P.M. to the Secretary, APMC (s) offices respectively, out of APMC funds.

(3) **Representation/request of staff working in World Bank Project PIU HP SAMB for absorption of their services in the Board and regularisation.**

The representation dated **01.09.2022** made by the employees working under World Bank funded project in PIU HP SAMB on contract/coterminus basis regarding taking over of their services and regularisation by the Board, as the term of project will end in **June, 2023,** was placed before the Board for kind consideration. It was also brought to the notice of the Board that 6 nos persons are working under WB project and **84** personnel are engaged on service outsource basis in the Board and APMCs under different schemes and they are also requesting for policy formulation and regularisation. The matter was discussed at length and the Board was of the opinion that it would not be adviseable to take decision at this stage in case of WB employees as the project would end in June, 2023 or may continue further. As regards, outsourced emoployees, whatever decision the State Govt. would take in case of the similar situates in other Govt. Departments/organisations etc. the same will be followed by the Board.

18. अन्य मद अध्यक्ष बोर्ड की पुर्वानुम्मति से।

(1) **ढली किसान भवन बारेः**

इस सम्बन्ध में बोर्ड सदस्य श्री राकेश ठाकुर ने बोर्ड को अवगत करवाया कि ढली में किसान भवन का निर्माण कर बोर्ड/मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर द्वारा किसानों/बागवानों को अच्छी सुविधा सृजित की गई है, परन्तु उन्होंने पाया है कि इसमें कुछ

आवश्यक मुरम्मत की आवश्यक्ता है, जो शीघ्र की जानी चाहिए। इस पर विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड ने अधिषासी अभियन्ता, विपणन बोर्ड की अध्यक्षता में एक उप समिति, जिसमें सचिव, मण्डी समिति को भी शामिल किया जाए, बनाने का निर्णय लिया और रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस पर आगामी कार्यवाही के लिए प्रबन्ध निदेशक को प्राधिकृत किया।

(2) **वर्तमान मण्डी, ऊना के साथ लगती निजी भूमि की खरीद बारेः**

सचिव, मण्डी समिति, ऊना ने बोर्ड को अवगत करवाया कि वर्तमान मण्डी ऊना के साथ निजी भूमि उपलब्ध है, जिसे उसका मालिक बेचने का इच्छुक है। इसे खरीदना समिति के हित में होगा, जिसके लिए मण्डी समिति ने बैठक दिनांक 17.08.2022 में निर्णय लिया है। बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उपायुक्त या अन्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति के गठन करवाने का निर्णय लिया। इस भूमि खरीद के लिए मण्डी समिति द्वारा धन उपलब्धता/वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा जाए। मामला मण्डी समिति स्तर पर समस्त औपचारिक्ताएं पूर्ण करने के उपरान्त बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए।

(3) **परवाणू, जिला सोलन में सी.ए./सी.एस. की स्थापनाः**

अध्यक्ष बोर्ड द्वारा यह मामला बोर्ड के ध्यान मे लाया गया और इसकी आवश्यक्ता बताई। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और इसकी प्रक्रिया जैसे- भूमि उपलब्धता/खरीद पूरी करने के

लिए उपायुक्त या अन्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति के गठन करवाने का निर्णय लिया। भूमि खरीद के लिए मण्डी समिति द्वारा धन उपलब्धता को ध्यान में रखा जाए। उचित दरों पर मण्डी समिति द्वारा औपचारिक्ताएं पूरी करने के उपरान्त खरीदने का निर्णय लिया। इस सम्बन्ध मण्डी समिति, सोलन को लिखा जाए।

(4) <u>दाड़नी का बगीचा, शिमला में मण्डी स्थापना।</u>

बोर्ड सदस्य एवं अध्यक्ष मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर ने बोर्ड को अवगत करवाया कि उक्त स्थान पर मण्डी के निर्माण के लिए माननीय मुख्य मंत्री, हि0.प्र0. द्वारा शिलान्यास कर दिया गया है और निर्माण किया जाना है। इसके लिए धन की उपलब्धता बारे प्रदेश सरकार से मामला उठाया गया था, परन्तु अभी तक कोई प्रगति नही हुई है। अतः कार्य की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने प्रदेश सरकार से पुनः मामला उठाने, सरकार से राशि प्राप्त न होने की स्थिति में व्यय बोर्ड तथा मण्डी समिति द्वारा संयुक्त रूप से उठाने का निर्णय लिया।

(5) <u>चौरी–बिहाल, जिला कुल्लू में किसान भवन को चलाने तथा ठहरने हेतु दरें निर्धारित करने की स्वीकृति।</u>

बोर्ड को अवगत करवाया गया कि उक्त स्थान पर शीघ्र ही नव निर्मित किसान भवन का लोकार्पण कर दिया जाएगा ताकि किसानों/बागवानों को ठहरने की सुविधा प्राप्त हो सके। इस किसान भवन का निरीक्षण भी माननीय सदस्यों द्वारा बोर्ड बैठक के बाद करवाया जाऐगा। मण्डी समिति, कुल्लू के

प्रस्तावानुसार 19 सैटों मे से 8 सैटों (सिंगल रूम) का किराया हिमाचलियों के लिए मु0. 1000रू0. प्रति सैट तथा 11 सैटों (डब्बल रूम) का किराया मु0. 1500 प्रति सैट निर्धारित किया जाए। गैर हिमाचलियों के लिए किराया ऑफ सीजन में मु0. 2000 रू0. प्रति सैट तथा 11 सैटों (डब्बल रूम) का किराया मु0.3000रू0. प्रति सैट तथा सीजन में 8 सैटों का किराया मु0. 3000रू0. प्रति सैट तथा 11 सैटों (डब्बल रूम) का किराया मु0.3000 प्रति सैट निर्धारित किया जाए, जबकि डोरमेटरी का किराया मु0. 100 रू0. प्रति बैड निर्धारित किया जाए। इस पूरे प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किया गया और इस जगह की महत्वता और मण्डी समिति के हित को ध्यान में रखते हुए, किराए के निर्धारण हेतु स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की:

कमरों का विवरण	हिमाचल वासियों के लिए।	गैर हिमाचल वासियों के लिए।
सिंगल कमरा	मु0.1000रू0.	मु0.2000रू0.
डब्बल कमरा	मु0.1500रू0.	मु0.3000रू0.
डोरमेटरी	मु0.100रू0. प्रति बेड	मु0.100रू0. प्रति बेड

मण्डी समिति के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने उक्त स्थान पर बनाई गई गाड़ियों की पार्किंग सभी औपचारिक्ताएं पूरी करने के उपरान्त प्रति वर्ष ठेके पर देने तथा अन्य कार्य आउटसोर्स करने का निर्णय लिया, जिसके लिए मण्डी समिति को एक पूरा प्रकरण तैयार करके बोर्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित करना होगा, आगामी कार्यवाही के लिए

प्रबन्ध निदेशक को सर्वसम्मति से प्रधिकृत किया गया।

(6) **<u>जसूर, जिला कांगडा में किसान भवन को चलाने।</u>**

श्री संजय उपाध्याय, बोर्ड सदस्य ने अवगत करवाया गया कि उक्त स्थान किसान भवन का निर्माण पूरा होने वाला है, अतः इस तुरन्त शुरू किया जाए ताकि किसानों/बागवानों को ठहरने की सुविधा प्राप्त हो सके। इस बारे वर्तमान स्थिति से बोर्ड को अवगत करवाया गया और सचिव, मण्डी समिति से भी बात की गई। सचिव ने बताया कि इसे चलाने के लिए फर्निचर खरीद की जानी है, जिस पर लगभग मु0. 20.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। अतः चर्चा उपरान्त बोर्ड ने इस किसान भवन को चलाने के लिए फर्निचर खरीद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

(7) **<u>विपणन बोर्ड की बैठक के आयोजन पर व्यय की स्वीकृति।</u>**

अध्यक्ष बोर्ड द्वारा बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि इस बैठक का आयोजन नव निर्मित किसान विश्राम गृह, चौरी बिहाल में प्रस्तावित किया गया था, परन्तु निरीक्षण पर पाया गया कि बैठक के लिए निर्धारित तिथि को सभी तैयारियां, जिसमें बोर्ड सदस्यों के ठहरने, बैठक कक्ष तैयार करना इत्यादि शामिल है, परी नही हो पाई, जिस कारण बैठक का स्थान व अध्यक्ष/सदस्यगणों को ठहरने का प्रबन्ध हि0.प्र0. पर्यटन निगम के होटल, कुंजम, मनाली करना पड़ा। इस सभी प्रबन्धों पर लगभग मु0.1.25 रू0. व्यय होने का अनुमान है। अतः बैठक के आयोजन और 2 दिन ठहरने हेतु की गई कार्यवाही का बोर्ड ने

अनुमोदन किया और इस बैठक पर होने वाले व्यय हेतु स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की।

बैठक के समाप्पन से पूर्व श्री राकेश ठाकुर, बोर्ड सदस्य ने भी अध्यक्ष, सदस्यगणों, प्रबन्ध निदेशक तथा बोर्ड के कर्मचारियों का सहयोग तथा सद्भाव के लिए धन्यवाद किया। अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यगणों के बहुमुल्य सुझावों एवं सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया गया।

बैठक, सदस्यगणों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

(नरेश ठाकुर, हि0.प्र0.से0.)
प्रबन्ध निदेशक एवं
सदस्य सचिव

(बलदेव सिंह भंडारी)
अध्यक्ष

पृ0.सं0.एच.एम.बी.(ए.)4-1/97- दिनांकः 21.09.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः

1. सचिव(कृषि) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
2. समस्त सम्माननीय सदस्य विपणन बोर्ड।

प्रबन्ध निदेशक एवं
सदस्य सचिव
हि0.प्र0. राज्य कृषि विपणन बोर्ड।

अनुलगनक-1.

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की दिनांक 06.09.2022 को मनाली, जिला कुल्लू में आयोजित बैठक में भाग लेने वाले सम्माननीय सदस्यों तथा अन्यों की सूची।

1. श्री बलदेव सिंह भंडारी, अध्यक्ष विपणन बोर्ड।
2. श्री रामेश शर्मा, सलाहकार, विपणन बोर्ड।
3. उप निदेशक, कुल्लू, कृषि विभाग, हि.प्र. के प्रतिनिधि।
4. उप निदेशक, कुल्लू, उद्यान विभाग, हि.प्र. के प्रतिनिधि।
5. सहायक पंजीयक, कुल्लू, सहकारिता विभाग,हि0.प्र0. के प्रतिनिधि।
6. श्री नरेश शर्मा, अध्यक्ष, मण्डी समिति,शिमला एवं किन्नौर।
7. श्री अमर सिंह, अध्यक्ष, मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति।
8. श्री संजय उपाध्याय, गांव व डा.नगरोटा सुंरिया,जि0. कांगड़ा।
9. श्री दौलत ठाकुर, गांव व डा. घर जुखाला, जिला बिलासपुर।
10. श्री रणवीर, जिला अध्यक्ष, भाजपा, मण्डी।
11. श्री राकेश ठाकुर, गांव व डा0. समीरपुर, जि0. हमीरपुर।
12. श्री ज्ञान चौहान, कसुम्पटी, शिमला-171009.
13. श्री जोधवीर सिंह, गांव सेरी, डा.घ.बिहानी, उप तहसील छत्तरी, जिला मण्डी।
14. श्री सुनिल चौहान, परियोजना निदेशक, जाईका, हमीरपुर (विशेष अतिथि)
15. श्री नरेश ठाकुर, हि0. प्र0. सेवा, प्रबन्ध निदेशक एवं सदस्य सचिव विपणन बोर्ड।
16. श्री हेम राज, अधिशासी अभियन्ता विपणन बोर्ड।
17. श्री कैलाश चन्द्र वर्मा, उप नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा सेवा) विपणन बोर्ड।
18. श्री अनिल चौहान, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन बोर्ड।
19. श्री कली राम शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, विपणन बोर्ड।
20. श्री सुभाष चन्द शर्मा, लेखा अधिकारी, विपणन बोर्ड
21. श्री संदीप गौतम, सचिव, मण्डी समिति, बिलासपुर।
22. श्री भूपेन्द्र सिंह, सचिव, मण्डी समिति, ऊना।
23. श्री सुशील गुलेरिया, विपणन अधिकारी/सचिव, मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति।
24. श्री अशोक शर्मा, सहायक अभियन्ता, विपणन बोर्ड

....